उत्तरप्रदेश गांवो के संग अभियान-2021

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) सिरसला

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.**

उनवान

नरेशकुमार ..... बनाम रामधान सहित

दावा बाबत नाम दुरस्ती U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :– 79/2022

निर्णय दिनांक :– 20.05.2022

वादी की ओर से ....एस्प.....की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.05.2022 को **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – दावावादी द्वारा दिनांक ग्राम सिरसला की जमाबन्दी के खाता नं. 206 ख.नं. 49,50 में अंकित नरेश कुमार पुत्र मांगी के स्थान पर नरेशकुमार पुत्र भगवानराम नाम दुरस्त करने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार चूरू उम्मेदकुमार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। नाम दुरस्त के सम्बन्ध में भविष्य में कोई विवाद होने की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा तथा वादी द्वारा कोर्ट शुल्क छुपाया है तो उसकी जब्तशुदगी होगी।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		[illegible] की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		[illegible] की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 15:59:12 IST
Reason: SelfAttested

सत्य पे.-

20-05-2022